कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय– आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र कमांक–एफ.6 (43) परीक्षा 'क'/प्राध्यापक–(स्कूल शिक्षा)/12–13/2162 दिनांक 08.07.2015 के द्वारा प्राध्यापक–हिन्दी(स्कूल शिक्षा) वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड वेतन–4800 के पद पर चयनोपरांत संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक– हिन्दी (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जा कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक–हिन्दी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक–एफ 1(12) डीओपी/ए–II/2005 दिनांक–20.01.06, एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक–13.03.2006 एवं एफ.14(1)एफ.डी./रूल्स/2014 दिनांक:– 24.12.2014 के प्रावधानानुसार राज्यसेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नवचयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक(15660/– प्रतिमाह) देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र कमांक–प.8(1) कार्मिक/क–2/03 दिनांक–09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

क.स.	मेरिट सं.	नाम अभ्यर्थी मय पिता का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान (राउमावि)	चयन वर्ग
1	135	राकेश शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा	वार्ड नं. 20 आजाद चौक, सूरतगढ श्रीगंगानगर	16.11.1981	सल्लोपट– गांगडतलाई बांसवाडा	GENM

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे –

1. संस्था प्रधान अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत आवेदन सह निरीक्षा प्रपत्र में संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों के अनुसार मूल दस्तावेज से मिलान करने के पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण करायेगें। संस्था प्रधान को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आवेदन सह निरीक्षा प्रपत्र प्राप्त होने पर, इसे अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत दस्तावेजों से आवश्यक रूप से मिलान करेगें एवं मूल आवेदन सह निरीक्षा प्रपत्र को कार्मिक निजी पंजिका(पर्सनल फाईल) में संरक्षित रखा जावेगा। अभिलेखों में कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल निदेशालय को सूचित करेगें।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखी जावेगी। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
3. संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि कार्यभार ग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट एवं रिपोर्ट में कोई विपरित टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेगें अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया जावेगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक–एफ.7(1) डीओपी/ ए–2/95 दिनांक–08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक–01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या–02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र सलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/–रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10 /– रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही है। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली, अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
6. अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की जॉच किये जाने के उपरांत ही कार्यग्रहण की कार्यवाही करावें :–

   (अ) प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि 'अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" उक्त प्रमाण पत्र परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से छः माह पूर्व का होने पर नवीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावे।

   (ब) उक्त प्रमाण पत्र माता एवं पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वॉछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वह मान्य नहीं है

उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका सं. 11753/2015 में पारित निर्णय दिनांक–11.11.16 की पालना में श्री राकेश शर्मा के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण में अंतिम निर्णय के अध्यधीन दी जाती है। **प्रार्थी कार्यग्रहण के समय एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करे की यदि प्रार्थी की दोषसिद्वि होती है तो उसकी सेवा समाप्त की जायेगी।** माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार श्री शर्मा को इनके साथ चयनित अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिनांक–18.07.15 के समान समस्त नोशनल परिलाभ देय होगें। इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक–17/08/2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक – शिविरा–मा/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांकः–06/08/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राज0–जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक(क–2)विभाग, राज0–जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
4. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II) /जि.शि.अ. (विधि) जोधपुर
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड बाबत।
6. संबंधित प्रधानाचार्य /संबंधित अभ्यर्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग/विधि अनुभाग कार्यालय–हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)